<u>सादक खॉ बनाम बनवारीलाल</u>

21-1-20

अभिभाषक उभय पक्षों को पत्रावली पर सुना गया।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–12–2017 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। उक्त आदेश के माध्यम से वादग्रस्त भूमि चक 9 टीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 124/62 के किला नम्बर 19 ता 25 तादादी 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर कमीपूर्ति में किया गया है। अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त है तथा जिसके नियमन का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नहीं किया जा सकता।

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्थिति सामने आने पर आवंटन अधिकारी द्वारा स्वमेव उक्त आवंटन आदेश इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट सादक खॉ का नियम 21–ए आवंटन नियम 1975 का प्रार्थना पत्र जैरकार है। प्रकरण के पैण्डिंग रहने के दौरान राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 13 (5) (सी) के तहत रेस्पोडेन्ट बनवारीलाल पुत्र धोंकलराम को दिनांक 20–12–2017 को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। चूंकि अपीलांट द्वारा जिस आवंटन आदेश के विरूद्व उपरोक्त अपील प्रस्तुत की गई है, उक्त आवंटन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वमेव खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील का औचित्य समाप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील निष्प्रभावी हो चुकी है। अतः अपीला अपीलांट जरिये निष्प्रभावी खारिज की जाती है। अपील फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(राम रतन सौंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.14 16:25:55 IST
Reason: SelfAttested